Q. 1 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा पेश की जाने वाली वर्तमान टैरिफ योजनाएं उपभोक्ताओं, विशेष रूप से बुजुर्ग व्यक्तियों की प्राथमिकताओं और उपयोग पैटर्न के साथ कैसे संरेखित होती हैं? कृपया तर्क के साथ औचित्य सिद्ध करें &

Q.2 क्या ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वॉयस और एसएमएस तथा डेटा के लिए अलग-अलग प्लान की आवश्यकता है। कृपया कारण सहित बताएं।

समीक्षा :

उपरोक्त के संदर्भ में ट्राई पर उपलब्ध टिप्पणियों से ये स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि सेवा प्रदाताओ द्वारा हमेशा उपभोक्ताओ के हितों की अनदेखी की जाती है एवं उन पर ट्राई द्वारा जारी टेलकम्यूनिकैशन टैरीफ ऑर्डर 1999 के फॉर्बेरन्स के कारण जबरदस्ती मनचाहे टैरीफ प्लान थोपे जाते है। घरेलू महिलाओ, बच्चों , बड़े बुड़ो एवं मजदूर वर्ग के लिये केवल वॉयस और एसएमएस टैरीफ प्लान कम कीमत पर नहीं उपलब्ध करवाये जाते है । आज ज्यादातर सभी उपभोक्ताओ के पास स्मार्ट फोन ही है परंतु फिर भी सभी उपभोक्ताओ को वॉयस और एसएमएस के साथ डेटा टैरीफ प्लान की आवश्यकता नहीं होती है। अतः ग्राहकों एवं विशेष रूप से घरेलू महिलाओ, बच्चों , बड़े बुड़ो एवं मजदूर वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वॉयस और एसएमएस तथा डेटा के लिए अलग-अलग प्लान होने चाहिये ।

Q.3 क्या स्पेशल टैरिफ वाउचर (एसटीवी) और कॉम्बो वाउचर (सीवी) की अधिकतम वैधता बढ़ाई जानी चाहिए? कृपया अपने जवाब को कारण सहित उचित ठहराएँ &

प्रश्न 4: क्या ऐसे विशिष्ट उपभोक्ता वर्ग हैं जो विशेष टैरिफ वाउचर (एसटीवी) और कॉम्बो वाउचर (सीवी) के लिए लंबी वैधता अवधि से लाभान्वित होंगे? कृपया औचित्य सहित बताएं।

समीक्षा :

स्पेशल टैरिफ वाउचर (एसटीवी) और कॉम्बो वाउचर (सीवी) जोकि प्लान वाउचर का रेट कटर है उसको वैधता के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। फिर भी इस संदर्भ में ट्राई द्वारा जारी प्रावधान के अनुसार 365 दिन के डाटा स्पेशल टैरिफ वाउचर (एसटीवी) के अनुरूप अलग से एक वॉयस और एसएमएस के साथ भी एक स्पेशल टैरिफ वाउचर (एसटीवी) का प्रावधान होना चाहिए ।